संख्या–916/XIX-1/18–मि0ते0आवं0–112/2002

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 11 जुलाई, 2018

विषयः– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 के द्वितीय त्रैमास के माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 2018 हेतु मासिक मिट्टी तेल का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पेट्रोलियम प्लानिंग एंव एनालिसिस सैल, भारत सरकार के पत्र सं0–पी–210116/01/2018–Dist. दिनांक–20.06.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–जी0 आई0–41/29–7–53 (के0ओ0) दिनांक 09 जुलाई, 1990 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए वर्ष 2018–19 के **द्वितीय त्रैमास के माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2018** हेतु जनपदवार/कम्पनीवार/थोक मिट्टी तेल विक्रेतावार उपभोक्ताओं को मासिक आवंटन संलग्नक में उल्लिखित मात्रानुसार **कुल 1633** के0एल0 मासिक मिट्टी तेल का आवंटन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रत्येक जनपद के सम्मुख स्टैण्डर्ड आवंटन के अन्तर्गत जो मात्रा दी जा रही है वह केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दुकानदारों के माध्यम से राशन कार्ड पर निर्धारित दर में नियमानुसार वितरित की जायेगी। इस मात्रा को किसी भी स्थिति में किसी अन्य प्रयोजनों मे नही लाया जायेगा।

2. मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, भारत सरकार नई दिल्ली के अ0शा0प0सं0–पी0–21016/18/2015–वितरण–23652 दिनांक–26.08.2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में 43.9 प्रतिशत की सीमा तक मिट्टी तेल के विपथन होने का उल्लेख किया गया है, इसलिये समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जनपद में मात्र पात्र लाभार्थियों, जिनके पास बिजली अथवा गैस कनैक्सन न हो, को मिट्टी तेल का वितरण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा किसी भी दशा में मिट्टी तेल का विपथन न होने पाये। इसके साथ ही समस्त जिलाधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उनके जनपद में कम्पनीवार/थोक विक्रेतावार सूची में यदि कोई विक्रेता चिकित्सकीय या अन्य अपरिहार्य कारण से मिट्टी तेल उठान करने में असर्मथ रहता है तो उसका आवंटन किसी अन्य उपयुक्त थोक विक्रेता को अपने स्तर से आवंटित करने पर विचार करने हुए तद्नुसार शासन को अवगत कराना सुशिचित करेंगें।

3. **प्रकरण में शासनादेश संख्या–1231/XIX-1/17–मि0ते0आवं0–112/2002 दिनांक–10.11.2017 एवं संख्या–889/XIX-1/18–मि0ते0आवं0–112/2002 दिनांक–02.07.2018 तथा तत्संबंधी विभिन्न पत्रों/अ0 शा0 पत्रों के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया था कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे राशन कार्ड धारकों, जिनके पास एल0पी0जी0 गैस एवं विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं उनको मिट्टी तेल वितरण की पात्रता सूची से हटाते हुए अपात्र घोषित कर शासन को तत्सम्बन्धी विवरण के अनुसार वास्तविक रूप से पात्र लाभार्थियों के राशन कार्डों की संख्या के आधार पर मिट्टी तेल की मांग उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त आदेशों के क्रम में जनपदों से अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।**

4. शासन द्वारा मिट्टी तेल आवंटन जिलाधिकारियों को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वह जिलाधिकारी से समन्वय करते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत कर सम्बन्धित जनपद में क्षेत्रवार वास्तविक रूप से मिट्टी के तेल के पात्र लाभार्थियों की संख्या का सही आंकलन उपलब्ध कराते हुए वास्तविक संख्या के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मिट्टी तेल का उठान से सम्बन्धित आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे जिससे मिट्टी तेल के दुरूपयोग/अपमिश्रण की सम्भावना न रहे।

5. उपरोक्त प्रस्तर–04 की कार्यवाही के उपरान्त यदि जिलाधिकारी यह उचित समझेंगे कि उनके जनपद में वास्तविक रूप से पात्र लाभार्थियों हेतु वास्तविक मिट्टी तेल की मात्रा से अधिक आवंटन शासन द्वारा किया गया है तो तदनुसार शासन को तत्सम्बन्धी सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी तथा अधिक आवंटित मिट्टी तेल को तत्काल समर्पित किया जायेगा।

6. उपरोक्त प्रस्तर–04 एवं 05 में उल्लिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन शासन द्वारा आवंटित मिट्टी तेल का आवंटन प्राप्त होने के 01 सप्ताह के भीतर कार्यवाही पूर्ण करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारियों का होगा तथा जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को अवगत कराया जायेगा। किसी भी दशा में उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण किये बिना आवंटित मिट्टी तेल का उठान सम्बन्धी आदेश जिलाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं किया जायेगा।

7. जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मिट्टी तेल आवंटन से सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 02 लीटर प्रतिकार्ड तथा मैदानी क्षेत्र में 01 लीटर प्रतिकार्ड आवंटन का प्राविधान होने के दृष्टिगत जिले में वास्तविक रूप से पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष इसी मात्रा में मिट्टी तेल उठान का आदेश निर्गत किया जायेगा, जिससे किसी भी दशा में मिट्टी तेल का दुरूपयोग न हो।

8. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए जहां कही आवश्यकता हो एक स्पेशल कोटे के तहत छात्रों/छात्रवासों, शिक्षण सस्थाओं, विवाह, अन्त्योष्टि, ईट भट्ठे में कार्यरत मजदूरों तथा सरकारी उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार आवंटन किया जायेगा जिसकी सूचना जिलाधिकारी द्वारा शासन को उपलब्ध करानी होगी।

9. जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा **"थ्री स्टेज चैकिंग"** करायी जायेगी। किसी भी दशा में मिट्टी तेल का डाइवर्जन/अपमिश्रण न हो, जिसका विशेष ध्यान रखा जायेगा।

10. मिट्टी तेल का शत्प्रतिशत सही वितरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी (सिंगल बॉटल) राशनकार्ड धारकों को भारत सरकार से, मिट्टी तेल का कम आवंटन प्राप्त होने के दृष्टिगत मिट्टी तेल अनुमन्य नहीं किया जायेगा। बिना एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को 01 लीटर प्रति राशन कार्ड मैदानी क्षेत्र में तथा 02 लीटर, प्रति राशन कार्ड पर्वतीय जनपदों में मिट्टी तेल वितरित किया जायेगा। डी0बी0सी0 कनेक्शनधारी के राशनकार्डो पर मिट्टी का तेल अनुमन्य नहीं होगा।

11. जिलाधिकारी अपने जनपद में मिट्टी तेल की मांग/उपलब्धता/आपूर्ति को देखते हुये व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखेंगे।

12. प्रत्येक माह हेतु आवंटित मिट्टी तेल का उठान/वितरण उसी माह की अन्तिम तिथि तक प्रत्येक दशा में कर लिया जाय। **माह जुलाई, 2018 हेतु आवंटित मिट्टी तेल आवंटन का उठान किये जाने की अनुमति दिनांक 20.08.2018 तक प्रदान की जाती है।**

14. उल्लेखनीय है कि, भारत सरकार द्वारा, प्रत्येक त्रैमास हेतु, उत्तराखण्ड राज्य, को आवंटित मिट्टी तेल के कोटे की मात्रा में निरन्तर कटौती की जा रही है। इसके दृष्टिगत, किन्हीं एजेन्सियों द्वारा उठान न किये जाने की स्थिति में, जिला पूर्ति अधिकारी अपने स्तर से, अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि, ऐसी कितनी एजेन्सियां हैं, जो द्वितीय त्रैमास हेतु आवंटित कोटे का कतिपय कारणों से पूर्ण/आंशिक उठान नहीं कर पा रही हैं, साथ ही इसकी सूचना प्रत्येक जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्रत्येक दशा में त्रैमास समाप्त होने से पूर्व शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–916 (1)/ XIX-1/18–मि0ते0आवं0–112/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2– उप सचिव, पैट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3– आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– आयुक्त गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल,पौड़ी/नैनीताल।
5– राज्य स्तरीय समन्वयक उत्तराखण्ड, आई0ओ0सी0 देहरादून/बरेली को जनपदवार/एजेंसीवार/थोक विक्रेतावार मिट्टी तेल के आवंटन की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि वह सम्बन्धित तेल डिपो तथा सम्बन्धित तेल कम्पनी को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन तथा सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी स्तर से निर्देश/आदेश के उपरान्त ही मिट्टी तेल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6– क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच0पी0सी0एल0, 1 नेशविला रोड, देहरादून।
7– क्षेत्रीय प्रबन्धक, बी0पी0सी0एल0, प्रादेशिक कार्यालय, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एरिया, लन्ढौरा, रूड़की, जिला–हरिद्वार।
8– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– प्रमुख निजी सचिव, मा0 खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
10– महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
11– समन्वयक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय देहरादून।
12– प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)
अनु सचिव।